**UPPG010044822026**

**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रतापगढ़।**
**पीठासीन अधिकारी– अंकिता दुबे ,एच 0 जे0 एस 0– UP–1713**
**अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1794/2026**

1. **सविता** आयु करीब 39 वर्ष पत्नी पवन कुमार – मृतक वादहू पत्नी लालजी सरोज निवासिनी ग्राम– मधवापुर, आमापुर बेर्रा, थाना– रानीगंज, जिला– प्रतापगढ़। वारिदहाल मोकाम पत्नी लालजी निवासिनी ग्राम–नोही, थाना पट्टी, जिला– प्रतापगढ़।
2. **लालजी** आयु करीब 59 वर्ष सुत बोड़ई राम निवासी ग्राम – नोही, थाना– पट्टी, जिला– प्रतापगढ़।
3. **राम अभिलाख** उम्र करीब 43 वर्ष पुत्र मौजीलाल निवासी ग्राम–मुबारकपुर, थाना–बहरिया, जनपद– प्रयागराज उ०प्र० ।

..... **आवेदकगण/अभियुक्तगण**

बनाम

राज्य उ०प्र०

.....**अभियोगी**

मु०अ०सं०–194/2023,
धारा–306 आई.पी.सी.
थाना–रानीगंज, जिला–प्रतापगढ़।

09.07.2026

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण **सविता, लालजी व राम अभिलाख** की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–194/2023 अं०धारा– 306 आई.पी.सी. थाना – रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

2. **अभियोजन कथानक के अनुसार** प्रार्थी गंगादीन आयु वर्ष सुत भागीरथी निवासी मधवापुर आमापुर बेर्रा थाना रानीगंज प्रतापगढ़ बनाम 1–सविता पत्नी पवन कुमार निवासी मधवापुर आमापुर बेर्रा थाना रानीगंज प्रतापगढ़ 2–लाल जी निवासी नोही थाना पट्टी जिला प्रतापगढ़ कार्यरत प्राथमिक पाठशाला गौसपुर विकास खण्ड आसपुर देवसरा प्रतापगढ़ 3– राम अभिलाष सुत मौजी लाल निवासी मुबारकपुर थाना बहरिया जिला प्रयागराज, अभियुक्तगण प्रार्थनापत्र अं. धारा 156(3) दं.प्र.सं. वास्ते पंजीकृत करने मुकदमा एंव किए जाने विवेचना सबंधित थाना रानीगंज जिला प्रतापगढ़ श्रीमानजी, प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है कि प्रार्थी उपरोक्त नाम व पते का मूल निवासी है। प्रार्थी का लड़का पवन कुमार दिनांक 6.10.18 को सुबह लगभग 10 बजे घर से मोटर साइकिल से निकला था। दूसरे दिन दिनांक 7.10.18 को समय 12 बजे सूचना मिली कि उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी है। सूचना पर प्राथी मौके पर गया। प्रार्थी के लड़के के सिर व पैर पर चोट लगी थी, परंतु कटा नहीं था। मोटर साइकिल लगभग 50 मीटर पर खड़ी थी। मेरे लड़के की लाश रेलवे ट्रैक पर नहीं थी न ही पटरी पर थी बल्कि बगल गड्ढे में पड़ी थी। मुझे पता चला कि मेरे 4 लड़के की मृत्यु रेल दुर्घटना नहीं बल्कि मेरी बहु सविता जिसका अवैध सम्बन्ध उसके दूर के रिश्तेदार व बहनोई से था। मेरी बहू उसके रिश्तेदार लाल जी निवासी नोही थाना पट्टी जिला प्रतापग जो प्राथमिक पाठशाला गौसपुर विकास खण्ड आसपुर देवसरा मे अध्यापक है व उसके बहनोई राम अभिलाष सुत मौजी लाल

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.07.09 16:25:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निवासी मुबारकपुर थाना बहरिया जिला प्रयागराज ने मिलकर साजिश करके मेरे लड़के पवन कुमार को दिनांक 6.10.18 को बुलाकर मिलकर हत्या कर दी। मेरी बहू सविता उक्त व्यक्ति लाल जी जिसको अपना दूर का रिश्तेदार मेरे घर आने पर बताती थी, उसके साथ मुझे अब पता चला है कि रह रही है। लाल जी मेरा लड़का जब सउदिया मे था तो मेरे घर बराबर रिश्तेदार बनकर सविता से मिलने आता था। उपरोक्त तीनों लोगो ने मिलकर मेरी बहू ने आशनाई व विवाह करने हेतु मेरे बेटे की हत्या करा दी। घटना के समय प्रार्थी जवान बेटे की मृत्यु के कारण शुद्ध मस्तिष्क में नहीं था। पुलिस द्वारा जहाँ जहाँ पर हस्ताक्षर कराये हस्ताक्षर कर दिया था। मुझे अब पता चला कि मेरे बेटे की रेलवे दुर्घटना नहीं हुई थी, बल्कि उपरोक्त लोगों के द्वारा हत्या कर दी गयी थी। उक्त प्रार्थनापत्र के साथ पोस्ट मार्टम रिपोर्ट व फौरी सूचना मृतक लड़के पवन कुमार का वीजा व पासपोर्ट सलग्न प्रार्थनापत्र है। प्रार्थी परेशान होकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रतापग को 16–9–22 जरिये रजिस्टी प्रार्थनापत्र दिया, किंतु आज तक कार्यवाही न होने पर श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है।

3. **अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार** लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है। मुकदमें में कोई भी स्वतन्त्र व निष्पक्ष गवाह नहीं है जो गवाहान है भी वे वादी मुकदमा के घर परिवार व रिश्तेदार है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अति बिलम्ब से कानूनी राय मशविरा के बाद दर्ज करायी गयी हैं बिलम्ब का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। जांचोपरान्त उल्लेख किया गया है कि मृतक की मृत्यु रेलवे लाइन पर ट्रेन से टक्कर लगने के कारण दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गयी। पंचायतनामा में मृतक के पिता वादी मुकदमा गंगादीन के भी हस्ताक्षर हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि मृतक पवन कुमार स्वयं मानसिक रोगी था जिसके परिणाम स्वरूप वह ट्रेन से मस्तिष्क में उपजे ख्यालों के कारण ट्रेन से टकराकर मर गया। पांच लाख रूपये पाने के बाद वादी मुकदमा व ससुराल वाले सविता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे कि वह पैसा सविता वादी मुकदमा को बैंक से निकालकर दे दे तथा जमीन भी वादी के नाम कर दे। सविता इन सब बातों के लिए तैयार नहीं हुयी और सविता को मारपीटकर घर से निकाल दिये। लालजी व राम अभिलाख तथा सविता का कहीं से भी दूर–दूर तक कोई रिश्ता नहीं था न ही उन लोगों का मृतक के घर आना जाना था न कोई फोटो है न कोई सम्बन्ध वादी बताता ही है। उक्त बातें चार साल बाद कानूनी राय से फर्जी लिखायी गयी है। प्रार्थी / अभियुक्तगण का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है न ही वे पूर्व में किसी भी न्यायालय द्वारा सजायाप्ता ही है। यह प्रार्थीगण का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है न ही विचाराधीन है न ही निरस्त ही किया गया। अन्त में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है। मुकदमें में कोई भी स्वतन्त्र व निष्पक्ष गवाह नहीं है प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है न ही वे पूर्व में किसी भी न्यायालय द्वारा सजायाप्ता ही है और अग्रिम जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्ता सविता के अवैध संबंध होने के कारण अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के लड़के पवन कुमार की मृत्यु किये जाने का आरोप है। अभियुक्त का यह अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित करेगा और साक्षियों को प्रभावित कर सकता है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. **प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि** मृतक की पत्नी अभियुक्ता सविता के अवैध संबंध होने के कारण अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के लड़के पवन कुमार की मृत्यु कारित किये जाने की एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। विवेचना उपरान्त धारा 306 आई.पी.सी. के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि अभियुक्तगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुक्रम में दिनांक 29.04.2024 को उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिया गया था, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर लगभग 11 माह तक लगातार कोई बल देने हेतु उपस्थित नहीं हुए। जिसके उपरान्त न्यायालय द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर बल न देने के कारण निरस्त किया गया है तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध सम्मन जारी किये जाने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने पर बी.डब्ल्यू. जारी किया गया है। स्पष्ट है कि अभियुक्त जानबूझकर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपने जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश एवं उन्मोचन प्रार्थना पत्र का कोई उल्लेख नहीं करते हुए इन तथ्यों को न्यायालय से छुपाया है। कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जय प्रकाश सिंह बनाम स्टेट आफ बिहार, ए.आई.आर. 2012 सुप्रीम कोर्ट 1676 में निम्न विधि प्रतिपादित की गयी हैः–

"13. There is no substantial difference between Section 438 and 439 Cr.P.C. so far as appreciation of the case as to whether or not a bail is to be granted, is concerned. However, neither anticipatory bail nor regular bail can be granted as a matter of rule. The anticipatory bail being an extraordinary privilege should be granted only in exceptional cases. The judicial discreation conferred upon the court has to be properly exercised after proper application of mind to decide whether it is a fit case for grant of anticipatory bail.

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों, मामले की गम्भीरता व अभियुक्तों के आचरण को देखते हुये अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

आवेदकगण/अभियुक्तगण **सविता, लालजी व राम अभिलाख** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–194/2023 अं०धारा– 306 आई.पी.सी. थाना– रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ में प्रस्तुत **अग्रिम** जमानत प्रार्थना पत्र **खारिज** किया जाता है।

दिनांक–09.07.2026

(**अंकिता दुबे**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)/
प्रतापगढ़।

स्टेनो/–विकाश प्रभाकर